

डिगरी बमूकदमें इब्तादाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाबा दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबड़ी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.

वादी :-

- 1-सत्तुराम पुत्र भंवराराम जाति जाट
निवासी सैसड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1-तहसीलदार रियांबड़ी
2-पटवारी हलका सैसड़ा

दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955. मुकदमान राजस्व वाद संख्या:- 324/2017 यह मुकदमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी...मिनजानिब मुद्ई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

"ग्राम सैसड़ा की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 782 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 783 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 784 रकबा 0.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 785 रकबा 1.6300 हैक्टर व खसरा नंबर 786 रकबा 1.7700 हैक्टर कुल रकबा 3.4900 हैक्टर में वादी सत्यनारायण के स्थान पर सन्तुराम दर्ज किया जावे।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जावे।

.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....
.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

नोट:-उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

बसीक मेरे दस्तखत व मुहर राजस्व लोक अदालत के आज तारीख :-07.05.2018

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत कैम्प-सैसड़ा
रियांबड़ी

| मुद्ई | रुपया | पैसे | मुद्दायला | रुपये | पैस |
|----------------------|-------|------|----------------------|-------|-----|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालत नामा | | |
| स्टाम्प वकालत नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह साबूत | | | मेहनताना वकील | | |
| मेहनताना वकील | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फीस कमीष्नर | | |
| फीस कमीष्नर | | | बाबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बाबत इजराय हुक्मीजान | | | मुतफरिंक | | |
| मुतफरिंक | | | मीजान | | |

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत कैम्प-सैसड़ा
कैम्प
रियांबड़ी